बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-1165/आ0नि0 दिनांक-31 अगस्त 2020

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य एवं उपभोकता संरक्षण विभाग
बिहार, पटना।

विषय :- दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 अन्तर्गत उनकी सुरक्षा व संरक्षा हेतु प्रदत्त अधिकार व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 अन्तर्गत दिव्यांगजनों के समावेशन से सम्बन्धित प्रावधानों का राज्य अन्तर्गत अनुपालन के तहत सभी दिव्यांगजन को खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- **(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016**

(2) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013

(3) NFSA Division का पत्र एफ नं0-15-23/2020-एन0एफएस0ए0 दिनांक-22.08.2020

(4) खाद्य एवं उपभोकता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-5869 दि0-12.12.2019

(3) इस कार्यालय का पत्रांक-1132/आ0नि0को0 दि0-21.10.2019

महाशय,

कृपया उपर्युक्त वर्णित विषय एवं प्रासंगिक पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। यह पत्र दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सुरक्षा व संरक्षा हेतु प्रदत्त अधिकार व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 अन्तर्गत दिव्यांगजनों के समावेशन से सम्बन्धित प्रावधानों का राज्य अन्तर्गत अनुपालन के तहत सभी दिव्यांगजन को खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ प्रदान करने के अनुपालन के सम्बन्ध में है।

उक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी के साथ हुई बैठक (इस कार्यालय का पत्रांक-1132/आ0नि0को0 दि0-21.10.2019) व उक्त बैठक का कार्यवाही प्रतिवेदन - खाद्य एवं उपभोकता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-5869 दि0-12.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।

उल्लेखनीय है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 एवं 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों व उपलब्ध सुरक्षापायों से सम्बन्धित मामलें में समुचित प्राधिकारियों को निदेशित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है एवं इसके निर्वहण के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय के समरूप शक्तियाँ प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि कोविड19 के संक्रमण से उपजी परिस्थितियों के दौरान इस न्यायालय द्वारा दिव्यांगजनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए व्यापक दिव्यांगता समावेशी दिशानिर्देश के तहत वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय एवं प्रमण्डलवार (प्रत्येक नौ प्रमण्डलों के लिए) ऑनलाईन लोक अदालत के दौरान राशन कार्ड उपलब्ध नहीं होने, राशन प्राप्त नहीं होने से सम्बन्धित विविध शिकायतें इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

कृ0पृ0उ0............

दिव्यांगजनों से उन्हें राशन कार्ड/राशन प्राप्त होने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों एवं सामान्यत: दिव्यांगजनों की अपेक्षाकृत बुरी आर्थिक व सामाजिक स्थिति तथा कोविड19 के संक्रमण के निवारात्मक उपायों यथा लॉकडाउन व अन्य के कारण इन स्थितियों की गंभीरता और भी बढ़ जाने का संदर्भ देते हुए निम्न बिन्दु उल्लेखित है :-

(1) दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्वीकताप्राप्त/अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाए। इस विषय में NFSA Division का पत्र एफ नं0-15-23/2020-एन0एफएस0ए0 दिनांक-22.08.2020 अन्तर्गत वर्णित निर्देशों तथा खाद्य एवं उपभोकता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-5869 दि0-12.12.2019 अनतर्गत वर्णित प्रतिवेदन बिन्दु का संदर्भ ग्रहण किया जाए, जिसके अन्तर्गत यह भी प्रतिवेदित किया गया था कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों में दिव्यांगजनों के लिए आवागमन की सुविधा का प्रावधान/उनके प्रतिनिधि को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा पी0ओ0एस0 यंत्र में भी इसे प्रावधानित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) NFSA Division का पत्र एफ नं0-15-23/2020-एन0एफएस0ए0 दिनांक-22.08.2020 अन्तर्गत कंडिका-03 में वर्णित निर्देशों के अनुरूप राज्यों को यह सलाह दी गई है कि चुंकि सभी दिव्यांगजन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र लाभुक हैं, अत: सभी दिव्यांगजन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के प्रावधान अनुरूप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्नयोजना के तहत निर्धारित खाद्यान्न कोटा प्राप्त करने के पात्र हैं। अत: उक्त पात्रता अनुरूप जो भी दिव्यांगजन खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं, उन्हें राशन कार्ड निर्गत कर इससे आच्छादित किया जाए।

(3) राशन कार्ड उपलब्धता एवं राशन प्राप्ति के सम्बन्ध में दिव्यांगजनों से प्राप्त कुछ विशिष्ट शिकायतों का संदर्भ देते हुए अनुरोध है कि :-

(क) अभिभावकों के साथ रह रहे वयस्क दिव्यांगजनों (अर्थात 18/21 वर्ष की आयु से अधिक) को अलग इकाई मानते हुए राशन कार्ड/राशन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। समान्यत: दिव्यांगजनों के आत्मनिर्भर होने की उम्र अपेक्षाकृत अधिक होने की वजह से वयस्क दिव्यांगजनों को अलग इकाई मानते हुए उक्त सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने पर इस आपदा स्थिति में व अग्रेतर सामान्य स्थितियों में भी उन्हें बेहतर संरक्षण एवं सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।

(ख) नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के विवाहित जीवनयापन का लाभ पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा समुचित पहल की गई है, फिर भी उपलब्ध आँकड़ों की स्थिति अनुसार समान्यत: काफी संख्या दिव्यांगजन अविवाहित रह जाते हैं अथवा काफी उम्र बीतने के बाद विवाहित होते हैं। इस स्थिति अनुसार गैर शादी-शुदा दिव्यांगजनों को भी राशन कार्ड/राशन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, जिससे कि इस आपदा स्थिति के साथ-साथ अग्रेतर सामान्य स्थितियों में भी उन्हें बेहतर संरक्षण एवं सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।

(4) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत शेष रह गए दिव्यांगजन, अर्थात जिन्हें अभी भी केन्द्र/राज्य योजना अन्तर्गत राशन कार्ड/राशन उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, उन्हें भारत सरकार द्वारा घोषित आत्म निर्मर भारत पैकेज के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना है। उक्तानुसार वे सभी दिव्यांगजन जिन्हें अबतक राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है, उन्हें आत्म निर्मर भारत पैकेज के तहत ये सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।

दूरभाष व अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों/सूचनाओं के अनुसार राज्य अन्तर्गत अभी भी काफी दिव्यांगजन राशन कार्ड की सुविधा से वंचित हैं। विदित हो कि आत्म निर्मर भारत पैकेज स्कीम की अवधि दिनांक-31 अगस्त 2020 को समाप्त हो रही है। इस सीमित अवधि में सभी लाभुक दिव्यांगजनों को इस पैकेज से जोड़ना सम्भव नहीं हो सकेगा।

कृ0पृ030.....

अतः अनुरोध है कि राज्य के सम्बन्ध में आत्म निर्भर भारत पैकेज स्कीम की अवधि एक माह और बढ़ाते हुए अर्थात 30 सितम्बर तक बढ़ाते हुए शेष लाभुक दिव्यांगजनों को पात्रता अनुसार इस पैकेज का लाभ प्रदान करने हेतु मिशन मोड में कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल का पत्र सं0-एफ7-32(2-1)2013/24-1 दि0-29.08.2020 भी अवलोकनार्थ संलग्न है।

समेकित रूप से अनुरोध है कि प्रासंगिक प्रावधानों यथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 अन्तर्गत उनकी सुरक्षा व संरक्षा हेतु प्रदत्त अधिकार व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 अन्तर्गत दिव्यांगजनों के समावेशन से सम्बन्धित प्रावधानों एवं इस सम्बन्ध में **NFSA Division** का पत्र एफ नं0-15-23/2020-एन0एफएस0ए0 दिनांक-22.08.2020 अन्तर्गत वर्णित निदेशों के आलोक में राज्य अन्तर्गत सभी दिव्यांगजन को खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ प्रदान करते हुए राशन कार्ड व समुचित राशन उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन
31.08.20

अनु0-यथोक्त।

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-06/रा0आ0नि0-01/2019-1165/आ.नि.श. दिनांक 31 अगस्त'2020

प्रतिलिपिः-

(1) प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।
(2) सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
(3) सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार।
(4) सभी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार
(5) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार
(6) NFSA Division, खाद्य एवं जनवितरण विभाग, भारत सरकार
(7) मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त का कार्यालय,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजिनी हाउस, भगवान दास रोड, नई दिल्ली।
(8) अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना।

............उक्त विषय में सूचनार्थ एवं यथा प्राधिकार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.08.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।